

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मु0न0 - 196/2023

अनवान :-

1. अलादीन खॉ पुत्र करीम खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा - डीलीट।  
1ए - रोहीत कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. फरियाद खॉ पुत्र करीम खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
3. मदीना पुत्री करीम खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
4. रजाक खॉ पुत्र करीम खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. जरीना पुत्री नियामत खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
2. नसरीन पुत्री नियामत खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. युनस पुत्र नियामत खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. यासमीन पुत्री नियामत खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
5. सिकन्दर पुत्र नियामत खॉ जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
6. मांगेराम पुत्र मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
7. रमेश कुमार पुत्र फतेहसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम हुड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा 9 बीएचडी के खाता सं0 69/4 के मु0न0 11 के किला न0 12 ता 14, 17 ता 24 की कुल 2.530है0 राजस्व रिकार्ड में मुशतर्का खातेदारी दर्ज है में मुताबिक अनुतोष निम्नानुसार खाता व लगान अलग किया जाता है -


वादी सं0 1ए रोहीत कुमार :- रोही मौजा 9 बीएचडी के मु0न0 11 के किला न0 17, 24 प्रत्येक किला की 0.253है0 की कुल 0.506है0।

वादी सं0 2 फरियाद खॉ :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी के मु0न0 11 किला न0 13 की 0.253है0 किला न0 23/1 की 0.222है0 व किला न0 23/2 की 0.031है0 गै0मु0 रास्ता।

वादी सं0 3 मदीना :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी के मु0न0 11 किला न0 18/1 की 0.222है0 किला न0 18/2 की 0.031है0 गै0मु0 रास्ता इस प्रकार कुल 0.222है0नहरी व 0.031 गै0मु0 रास्ता।

वादी सं0 4 रजाक खॉ :- मु0न0 11 के किला न0 21 व 22 प्रत्येक की 0.253है0 कुल 0.506है0।

प्रतिवादी सं0 1 जरीना 5/21 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 नसरीन 5/21 प्रतिवादी सं0 3 युनस 5/21 प्रतिवादी सं0 4 यासमीन 1/21 प्रतिवादी सं0 5 सिकन्दर 5/21 हिस्सा :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी के मु0न0 11 के किला न0 14 की 0.253है0 कुल 0.253है0।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



पतिवादी सं० 6 मांगेराम :- रोही मौजा 9 बीएचडी के मु०न० 11 के किला न० 12 की 0.253 है०।  
पतिवादी सं० 7 रमेश कुमार :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी मु०न० 11 के किला न० 19 की 0.253 है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-07-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



*(ओ.पी. चन्देलिया)*  
23/07/24  
उपाखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
R.A.S.  
भादरा जिला हनुमानगढ़

राज्य उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

196/2023

अनुदान :-

1. अलादीन खों पुत्र करीम खों जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा  
1ए - रोहीत कुमार पुत्र प्रेमसिंह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. फरियाद खों पुत्र करीम खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
3. मदीना पुत्री करीम खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
4. रजाक खों पुत्र करीम खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा

वादीगण

बनाम

1. जरीना पुत्री नियामत खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
2. नसरीन पुत्री नियामत खों जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. युनस पुत्र नियामत खों जाति जुलाहा निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. यासमीन पुत्री नियामत खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
5. सिकन्दर पुत्र नियामत खों जाति जुलाहा निवासी भादरा त0 भादरा।
6. मांगेराम पुत्र मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी भादरा त0 भादरा।
7. रमेश कुमार पुत्र फतेहसिंह जाति जाट निवासी मोठसरा त0 भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान कास्ताकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री सतवीर पूनियां वादीगण

श्री मांगेराम हुड्डा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 9 बीएचडी के खाता सं0 69/4 के मु0न0 11 के किला न0 12 ता 14, 17 ता 24 की कुल 2.530हे0 राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्का खातेदासी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफ़ी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदासी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखारस्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की और दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जबाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की। हमारे द्वारा अभिभाषकागण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में रोही मौजा 9 बीएचडी के खाता सं० 69/4 के मु०न० 11 के किला न० 12 ता 14, 17 ता 24 की कुल 2530है० राजस्व रिकार्ड में मुश्तर्क खातेदारी दर्ज है में मुताबिक अनुतोष निम्नानुसार खाला व लगान अलग किया जाता है -

वादी सं० 1ए रोहीत कुमार :- रोही मौजा 9 बीएचडी के मु०न० 11 के किला न० 17, 24 प्रत्येक किला की 0.253है० की कुल 0.506है०।

वादी सं० 2 फरियाद खों :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी के मु०न० 11 किला न० 13 की 0.253है० किला न० 23/1 की 0.222है० व किला न० 23/2 की 0.031है० गै०मु० रास्ता।

वादी सं० 3 मदीना :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी के मु०न० 11 किला न० 18/1 की 0.222है० किला न० 18/2 की 0.031है० गै०मु० रास्ता इस प्रकार कुल 0.222है०नहरी व 0.031 गै०मु० रास्ता।

वादी सं० 4 रजाक खों :- मु०न० 11 के किला न० 21 व 22 प्रत्येक की 0.253है० कुल 0.506है०।

प्रतिवादी सं० 1 जरीना 5/21 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 नसरीन 5/21 प्रतिवादी सं० 3 युनस 5/21

प्रतिवादी सं० 4 यासमीन 1/21 प्रतिवादी सं० 5 सिकन्दर 5/21 हिस्सा :- रोही मौजा चक 9

बीएचडी के मु०न० 11 के किला न० 14 की 0.253है० कुल 0.253है०।

प्रतिवादी सं० 6 मांगोराम :- रोही मौजा 9 बीएचडी के मु०न० 11 के किला न० 12 की 0.253है०।

प्रतिवादी सं० 7 रमेश कुमार :- रोही मौजा चक 9 बीएचडी मु०न० 11 के किला न० 19 की 0.253है०।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.पी. चन्दरिया)  
उपखण्ड आधिकारी (राजस्व)  
गौदास जिला, गौआसगढ़